पत्रांक–7 / खाद्य–12–01 / 2012– 51(7)a

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

उप रसायनिक विशलेषक सह–लोक विशलेषक
संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना
संबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न) ।

पटना, दिनांक – 16-12-2012

विषयः–मांग संख्या 20 अन्तर्गत आयोजना भिन्न व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण–0001–खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड–N2210061020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य मदों में कुल ₹ 33,50,650/–(तैंतीस लाख पच्चास हजार छः सौ पच्चास रूपये) मात्र का अतिरिक्त आंवटन ।

महाषय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश सं0–17(7)ब दिनांक–24.4.12 तथा मांग पत्र के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार विभिन्न प्राथमिक इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते मदों एवं अन्य मदों में कुल ₹ 33,50,650/–(तैंतीस लाख पच्चास हजार छः सौ पच्चास रूपये) मात्र अतिरिक्त आवंटन दी जाती है ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक 8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत आयोजना भिन्न व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण–0001–खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड–N2210061020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आयोजना भिन्न में उपबंध से की जायगी ।

4. इनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप रसायनिक विश्लेषक सह लोक विश्लेषक संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना/ संबंधित सिविल सर्जन तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बला के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

6. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002, 379(9) दिनांक–16.08.2002 एवं 73(9) दिनांक 28.1.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

8. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

9. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सम तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

10. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

11. [illegible] के भुगतान के समय विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी [illegible] परिसर में [illegible] गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0गी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5114)@ दिनांक : 16 -10 -12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	कार्यालय व्यय (13–01)	विद्युत प्रभार (13–04)	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	उप निदेशक सह लोक विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना	0	0	0	0	0	0	0	10000	300000	80000	390000	99/7.7.12, 111/8.8.12
2	सिविल सर्जन, पटना	200000	134000	130000	10000	4000	30000	508000	0	0	0	508000	4064/25.6.12
3	सिविल सर्जन, भागलपुर	150000	100500	97500	0	3000	22500	373500	0	0	0	373500	2708/21.8.12
4	सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर	45000	30150	29250	0	900	6750	112050	0	0	0	112050	1979/31.7.12
5	सिविल सर्जन,दरभंगा	150000	100500	97500	0	3000	22500	373500	0	0	0	373500	2876/4.9.12
6	सिविल सर्जन,मुंगेर	130000	87100	84500	0	2600	19500	323700	0	0	0	323700	942/16.7.12
7	सिविल सर्जन,खगड़िया	75000	50250	48750	0	1500	11250	186750	0	0	0	186750	1930/26.7.12
8	सिविल सर्जन,औरंगाबाद	120000	80400	78000	0	2400	18000	298800	0	0	0	298800	2015/12.7.12
9	सिविल सर्जन,समस्तीपुर	25000	16750	16250	0	500	3750	62250	0	0	0	62250	2127/12.9.12
10	सिविल सर्जन,सारण, छपरा	130000	87100	84500	0	2600	19500	323700	0	0	0	323700	2025/8.8.12
11	सिविल सर्जन,बेगुसराय	160000	107200	104000	0	3200	24000	398400	0	0	0	398400	2336/01.08.12
	कुल योग:–	1185000	793950	770250	10000	23700	177750	2960650	10000	300000	80000	3350650	

(तैंतीस लाख पच्चास हजार छ. सौ पच्च स) रू0 मात्र

16/10/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

51(7)a

16-10-12

विवरणी – II

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (01–01)	5983000	4770000	1185000	5955000	28000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	4008000	3195900	793950	3989850	18150
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	3684000	2862000	770250	3632250	51750
4	परिवहन भत्ता (01–05)	206000	140000	10000	150000	56000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	197000	153900	23700	177600	19400
6	अन्य भत्ता (01–07)	922000	715500	177750	893250	28750
	योग वेतन एवं भत्ते:–	**15000000**	**11837300**	**2960650**	**14797950**	**202050**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	150000	0	0	0	150000
8	कार्यालय व्यय (13–01)	250000	141000	10000	151000	99000
9	विद्युत प्रभार (13–04)	1100000	100000	300000	400000	700000
10	विधि प्रभार (13–05)	100000	66000	0	66000	34000
11	वर्दी / पोषाक (13–06)	10000	0	0	0	10000
12	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01)	50000	25000	0	25000	25000
13	दवा भंडार (21–02)	50000	25000	0	25000	25000
14	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28–01)	300000	100000	80000	180000	120000
15	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	800000	394000	0	394000	406000
	कुल योग:–	**17810000**	**11688300**	**3350650**	**16038950**	**1771050**

15/X/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

51(7)a

16-10-12